हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

ग्यारहवीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति :–

1. डॉ0 एम0एल0बी0 भट्ट, कुलपति, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय – अध्यक्ष
2. श्रीमती जसविंदर कौर, उप सचिव, चिकत्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
3. श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन (ऑनलाईन) – सदस्य
4. मनीष कुमार उप्रेती, वित्त नियंत्रक, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय – सदस्य
5. डॉ0 आशीष उनियाल, कुलसचिव, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय – सदस्य
6. डॉ0सी0एम0एस0 रावत, प्राचार्य, रा0 मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (ऑनलाईन माध्यम) – सदस्य
7. डॉ0 अरुण जोशी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (ऑनलाईन माध्यम) – सदस्य

सर्वप्रथम बैठक में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए हे0न0ब0उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया और विश्वविद्यालय की गतिविधियों तथा भावी योजनाओं से समिति को अवगत कराया गया। तत्पश्चात वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव बिन्दुवार प्रस्तुत किये गए एवं समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उन पर निम्नवत निर्णय लिए गये :–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1–वित्त समिति की दिनांक 24.05.2023 को सम्पन्न दसवीं बैठक में लिए गये निर्णयों सम्बन्धी अनुपालन आख्या की स्थिति :–

उक्त बैठक में कुल 13 बिन्दुओं पर निर्णय लिए गये थे, इन समस्त बिन्दुओं को क्रमवार वित्त नियंत्रक द्वारा समिति के सदस्यों के सम्मुख पढ़कर प्रस्तुत किया गया, साथ ही पारित किये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से भी समिति को अवगत कराया गया।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSITY
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः— दसवीं वित्त समिति दिनांक 24.05.2023 के ऐजेण्डा बिन्दु संख्या—8 एवं 9 के संबंध में वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा समिति को अगवत कराया गया कि पूर्व में पारित ये (राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना (SGHS), एवं अंशदायी पेंशन योजना) बिन्दु निराधार हैं, क्योंकी विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित कार्मिक नहीं हैं। वर्तमान में जो भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, वे सभी सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से कार्यरत हैं। एवं बिन्दु संख्या—12 (1) के कम में सम्बद्ध कॉलेजों से सम्बद्धता शुल्क पर ली जा रही G.S.T को जमा करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। इस संबंध में संबंधित पटल कार्मिकों को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही दसवीं वित्त समिति बिन्दु संख्या—11 में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण एवं छपायी संबंधी कार्यों हेतु एक गोपनीय खाता इंडियन बैंक में खोला गया है, उक्त गोपनीय खाते के संचालन हेतु अन्य विश्वविद्यालयों में कियान्वित प्रक्रिया अपनाये जाने की स्वीकृति गत वित्त समिति द्वारा प्रदान की गयी थी, उक्त के क्रम में गोपनीय कार्यों (प्रश्न पत्रों का निर्माण एवं छपायी) हेतु अन्य विश्वविद्यालयों में क्या प्रक्रिया आपनायी जा रही है, उन्हीं के आधार पर कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही गत वर्ष सम्पन्न दसवीं बैठक में लिए गये अन्य निर्णयों के कियान्वयन संबंधी पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या—2 :—वित्त नियंत्रक द्वारा चिकित्सा शिक्षा निदेशक/शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय एवं अवशेष धनराशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया ।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2023—24 में शासन से प्राप्त, व्यय एवं अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया गया :—

क्र. स.	लेखा शीर्षक	मद	वित्तीय वर्ष 2022—23 की अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्राप्त धनराशि	कुल योग (रूपये में) (कॉलम 4+5)	वित्तीय वर्ष में 31.03.2024 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2023—24 की अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राप्त धनराशि	कुल योग (रूपये में) (कॉलम 8+9)	वित्तीय वर्ष में 01.04.2024 से 30.09.2024 तक व्यय	30.09.2024 को अवशेष धनराशि (कॉलम 10—11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2210 —चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03 —चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसधान 105 —पाश्चात्य चिकित्सा पद्यति 10 —चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय 00 —	56—सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	41,39,017	1,50,00,000	1,91,39,017	1,65,83,908	25,55,109	1,50,00,000	1,75,55,109	52,11,807	1,23,43,302
		05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायता	49,71,493	1,00,00,000	1,49,71,493	90,22,190	59,49,303	1,00,00,000	1,59,49,303	70,93,602	88,55,701
		कुल योग	91,10,510	2,50,00,000	3,41,10,510	2,56,06,098	85,04,412	2,50,00,000	3,35,04,412	1,23,05,409	2,11,99,003

निर्णयः— समिति द्वारा उक्त विवरण अवलोकित किया गया और विश्वविद्यालय स्तर पर उक्त मदों में अवशेष धनराशि एवं शासन से प्राप्त धनराशि को स्वीकृति अनुरुप व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSITY
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(अजय कुमार)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 :–एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 :– विश्वविद्यालय के दिनांक 18.02.2014 को गठन के उपरान्त वित्त नियंत्रक द्वारा ग्यारहवीं वित्त समिति में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के व्यय एवं प्राप्तियों का अनुमान विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों (बैंक स्टेटमेण्ट, भुगतान पत्रावलियॉ, चैक इश्यू रजिस्टर, विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सूचना) के आधार पर ऑगणन किया गया है, जिसको आधार मानते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय के ऑकड़ों को अवलोकित किया गया। वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग रु0 02 करोड़ 60 लाख की धनराशि माह सितम्बर, 2024 तक व्यय की जा चुकी है, जिसकी कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति द्वारा प्रदान की गयी, साथ ही आगामी वर्षों से बजट प्रस्तुतीकरण माह अप्रैल तक आवश्यक रुप से तैंयार किये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4 :– विश्वविद्यालय की प्रथम वित्त समिति वर्ष 2013–14 दिनांक–18.05.2014 के बिन्दु संख्या–16 में विश्वविद्यालय से संबंधित विधिक प्रकरणों में परामर्श/पैरवी हेतु माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में नियुक्त एक रिटेनर की स्थानीय स्तर पर प्रति केस अन्त तक की पैरवी शुल्क रु0 16,000/– की सीमा तक कुलपति महोदय के आदेशों से निर्धारित की गयी है व अन्य विविध व्ययों का भुगतान इसके अतिरिक्त किया जाना होगा। रिट–पेटिशन पत्रावली की नोटशीट पृष्ट संख्या–11 पर अन्य विविध व्यय रु0 1,500/– के भुगतान की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय द्वारा देने के उपरान्त वर्तमान में अन्त तक की पैरवी शुल्क रु0 17,500/– विश्वविद्यालय स्तर से पैरवी शुल्क का भुगतान किया जाना है।

काफी समय से विधिक परामर्शदाताओं को पैरवी शुल्क रु0 17,500/– का भुगतान किया जा रहा है । इस सम्बंध में विधिक परामर्शदाताओं द्वारा बार–बार उक्त पैरवी शुल्क में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। अतः विधिक परामर्शदाताओं की उक्त पैरवी शुल्क रु0 17,500/– से रु0 20,000/– (18,500 + 1,500 = 20,000/–) (विविध व्यय सहित) किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव के सम्बध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में वर्णित नियमों का पालन किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–5 :– विश्वविद्यालय की आठवीं वित्त समिति दिनांक 01.11.2022 के ऐजेण्डा बिन्दु संख्या–5 में विश्वविद्यालय के आकस्मिक छोटे–मोटे कार्यों के सम्पादन आदि व्यवस्था के प्रयोजन हेतु IMPREST MONEY/अग्रिम आहरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रु0 10 हजार प्रति अधिकारी एवं अधिकतम रु0 01 लाख प्रति वर्ष धनराशि दिये जाने की स्वीकृति प्राप्त है। वर्तमान कियाकलापों के दृष्टिगत माननीय कुलपति महोदय हेतु यह धनराशि रु0 25 हजार एक बार में एवं अधिकतम रु0 01 लाख प्रति वर्ष किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSITY
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः— समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–6 :– द्वितीय वित्त समिति के विन्दु संख्या–12 में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों/परास्नातकों हेतु डिग्री/सर्टिफिकेट निर्गत किये जाने हेतु जो दरें वर्तमान में वर्ष 2014 से प्रचलित हैं, उनमें संसोधन कर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव निम्नवत प्रस्तुत है :–

क्रं0 सं0	अभिलेख का नाम	वर्तमान दर वर्ष 2014 से वर्तमान तक (Manual)	प्रस्तावित दर (Proposed Online)
1	अस्थाई डिग्री (Provisional Degree)	रू0 150/–	रू0 250/–
2	स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Migration Certificate)	रू0 150/–	रू0 250/–
3	अस्थाई अंकतालिका (Provisional Marksheet)	रू0 100/–	रू0 250/–
4	ट्रांसक्रिप्ट (Transcript)	रू0 300/–	रू0 1,000/–
5	अंकतालिका में छात्र/छात्रा के नाम में सुधार किया जाना (Name Correction)	रू0 100/– प्रति अंकतालिका	रू0 250/– प्रति अंकतालिका
6	प्रतिरूप अंकतालिका (Duplicate Marksheet)	रू0 200/– प्रति अंकतालिका	रू0 1,000/– प्रति अंकतालिका
7	प्रतिरूप डिग्री (Duplicate Degree)	रू0 500/–	रू0 1,000/–
8	डिग्री सत्यापन (Degree Verification)	–	रू0 500/–
9	उत्तर–पुस्तिकाओं की संवीक्षा (Scrutiny)	रू0 1,500/– प्रति पेपर	रू0 1,500/– प्रति पेपर

उपरोक्त पस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSITY
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

निर्णयः— समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या—7 :— विश्वविद्यालय की प्रथम वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या—7 (ग) के क्र.सं.—18 एवं 19 में पी.एच.डी शोध प्रबन्धन हेतु दरें तक की गयी थी, उक्त दरों में संसोधन एवं कतिपय नवीन बिन्दुओं का निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं :—

क0 सं0	विवरण	वर्तमान दरें (रु0 में)	दरें (रु0 में)
1.	पी0एच0डी0 शोधार्थियों के नामॉकन शुल्क	पूर्व की वित्त समितियों में कोई दरें तय नहीं की गयी हैं।	2,000/— प्रति शोधार्थी
2.	थीसिस मूल्यॉकन हेतु मूल्यॉकन कर्ता का मानदेय	रु0 1500/— आन्तरित एवं वाह्य	5,000/— प्रति मूल्यॉकन कर्ता
3.	शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा हेतु विशेषज्ञों का मानदेय	रु0 500/— प्रति छात्र केवल वाह्य परीक्षकों के लिए, न्यूनतम रु0 2000/—	3,000/— प्रति दिन
4.	आर.डी.सी. शुल्क एक बार देय	पूर्व की वित्त समितियों में कोई दरें तय नहीं की गयी हैं।	20,000/—प्रति शोधार्थी
5.	शोध निबन्ध मूल्यॉकन शुल्क एक बार देय		20,000/—प्रति शोधार्थी
6.	निजी वाहन के अतिरिक्त टैक्सी अथवा इकनॉमी क्लास की हवाई यात्रा किये जाने पर		विषय विशेषज्ञों द्वारा टैक्सी अथवा हवाई यात्रा (इकनॉमी क्लास) करने पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमति/स्वीकृति दिये जाने की दशा में टैक्सी हेतु परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरुप टैक्सी किराया अनुमन्य कराया जायेगा, जिसमें विशेषज्ञों को टैक्सी किराये की रसीद मूल रुप में संलग्न करनी होगी।
7.	शोध कार्यों एवं विश्वविद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से बाहर से आने वाले विषय विशेषज्ञों (प्रोफेसर स्तर के) को मुख्यालय के आस—पास के होटलों में उपलब्धता के आधार पर ठहरने आदि की व्यवस्था	पूर्व की वित्त समितियों में कोई दरें तय नहीं की गयी हैं।	4,500/— प्रति व्यक्ति प्रति दिन

उपरोक्त पस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSIT
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(अजय कुमार)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

निर्णयः— समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर इस आशय के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी कि जो भी विषय विशेषज्ञ विश्वविद्यालय में आते हैं, उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–2 के नियमान्तर्गत यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों का भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–8 :— द्वितीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या–12 में **विभिन्न पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालयी अनुपूरक परीक्षाओं हेतु संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतान किये जाने वाले वर्तमान शुल्क एवं प्रस्तावित शुल्क का विवरणः**

क्रं0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0	रू0 1,500/— प्रति विषय	रू0 1,500/— प्रति विषय
2	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल	रू0 500/— प्रति विषय	रू0 1,000 प्रति विषय

अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः— समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–9 :— स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (नर्सिंग/पैरामेडिकल) की सेमेस्टर माध्यम से कराई जाने वाली विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क के संबंध में चर्चा। वर्तमान में वार्षिक परीक्षा के आधे के बराबर परीक्षा शुल्क लिया जाता है।

क्रं0 सं0	पाठ्यक्रम	वर्षिक परीक्षा शुल्क	सेमेस्टर परीक्षा शुल्क
1	स्नातक	रू0 4,500/—	2,250/—
2	स्नातकोत्तर	रू0 6,000/—	3,000/—

अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSIT
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0
शिक्षा विश्वविद्यालय,

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(...जय कुमार)
...युक्त सचिव
...राखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः– समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया चूँकि पूर्व में इन परीक्षाओं हेतु वर्ष में एक बार ही शुल्क लिया जाता था, किन्तु एक वर्ष में 02 सैमेस्टर होते हैं, अतः परीक्षा शुल्क सैमेस्टर के आधार पर लिये जाने पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–10 :– विश्वविद्यालय की चतुर्थ वित्त समिति दिनांक 25.01.2019 में एम0डी0एस0 (MDS) पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु परीक्षा शुल्क रू0 28,620/– निर्धारित है। एम0डी0एस0 प्रथम वर्ष में केवल 01 ही प्रश्न–पत्र निर्धारित है। द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालयी परीक्षा नहीं होती है। तृतीय वर्ष 03 प्रश्न पत्र निर्धारित है। अतः परीक्षा शुल्क रू0 28,650/– प्रथम वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में लिये जाने पर विचार/निर्णय।

निर्णयः– समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एम0डी0एस0 (MDS) पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में ही यह शुल्क जमा करा लिया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–11 :– अधिकारियों व विश्वविद्यालय के आधिकारिक फोन हेतु रिचार्ज की न्यूनतम प्रतिमाह दर तथा मा0 कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त नियंत्रक हेतु 04 स्मार्ट फोन जिनकी क्रय कीमत अधिकतम रू0 20 हजार तक हो एवं अधिकतम रू0 400/– तक प्रिपेड रिचार्ज क्रय किये जाने पर विचार/निर्णय।

निर्णयः– समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड सरकार के शासनादेश एवं अनुमन्यता के आधार पर मोबाईल फोन क्रय किये जायें, साथ ही प्रति अधिकारी रू0 400/– प्रतिमाह तक पोस्टपेड मोबाईल का रिचार्ज कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–12 :– विश्वविद्यालय के अधिकारियों (मा0 कुलपति महोदय के अतिरिक्त) द्वारा कार्यालय प्रयोगार्थ उपयोग किये जा रहे सरकारी/टैक्सी वाहनों हेतु ईंधन कितनी मात्रा में व्यय हो रहा इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस हेतु भविष्य में कार्यालय प्रयोगार्थ लिये जा रहे वाहनों में अधिकतम 150 लीटर ईंधन (पेट्रोल अथवा डीजल) प्रति माह प्रति अधिकारी को अनुमन्य होगा। विशेष परिस्थितियों में माननीय कुलपति महोदय से अनुमति के उपरान्त ही अतिरिक्त ईंधन का व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–13 :– विश्वविद्यालय की द्वितीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या–12 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यॉकन की दरें निर्धारित हैं (स्नातक हेतु रू0 25/– प्रति उत्तर पुस्तिका एवं स्नातकोत्तर हेतु रू0 20/– प्रति उत्तर पुस्तिका), किन्तु प्रति दिन प्रति परीक्षक द्वारा कितनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यॉकन किया जायेगा, इस हेतु काई भी निश्चित सीमा तय नहीं है। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

VICE CHANCELLOR
H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSITY
DEHRADUN

कुलसचिव
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(जसविन्दर कौर)
उप सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः— समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर परीक्षा नियंत्रक से सुझाव लिये गये, जिसमें समिति द्वारा इन कार्यों हेतु न्यूनतम एवं अधितम की सीमा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, अपितु पूर्व की व्यवस्थाओं पर कार्य करने हेतु सुझाव दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या—14 :— उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास लगभग 19 एकड़ भूमि है, जो कि बंजर पड़ी हुई है। उक्त भूमि का सदुपयोग करने हेतु एक राजकीय डेंटल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव है। ध्यातव्य है कि राज्य में अभी तक कोई भी राजकीय डेंटल कॉलेज नहीं हैं। अतः यह एक सराहनीय पहल होगी।

निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर शासन को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय (माननीय कुलपति) द्वारा समिति के सभी सदस्यों ऑनलाईन अथवा भौतिक रुप से उपस्थित को धन्यवाद दिया गया, एवं ग्यारहवीं वित्त समिति की बैठक समाप्त की गयी।

वित्त समिति के उपस्थित सदस्यों (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) के हस्ताक्षर :—

1. डॉ0 एम.एल.बी. भट्ट (कुलपति) — अध्यक्ष
   हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून

   VICE CHANCELLOR
   H.N.B.UTT.MEDICAL UNIVERSITY
   DEHRADUN

2. श्रीमती जसविंदर कौर, उप सचिव, — सदस्य
   चिकत्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

   24/10/24
   (जसविन्दर कौर)
   उप सचिव
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
   चिकित्सा शिक्षा विभाग
   उत्तराखण्ड शासन

3. श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, — सदस्य
   वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन (ऑनलाईन)

   (विजय कुमार)
   संयुक्त सचिव
   उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

4. श्री मनीष कुमार उप्रेती, वित्त नियंत्रक, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून	– सदस्य	वित्त नियंत्रक हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
5. डॉ0 आशीष उनियाल, कुलसचिव, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून	– सदस्य	कुलसचिव हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
6. डॉ0सी0एम0एस0 रावत, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (ऑनलाईन माध्यम)	– सदस्य	....
7. डॉ0 अरुण जोशी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (ऑनलाईन माध्यम)	– सदस्य	....

Scanned with OKEN Scanner

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, सेलाकुई, देहरादून पिन संख्या 248197

वेबसाईट– E-mail-info.hnbumu@gmail.com, hnblekha@gmail.com

पत्रांकः 1690/एचएनबीयूएमयू/लेखा/2024–25 दिनांकः 14 नवम्बर, 2024

सेवा में,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त
राजकीय मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून की ग्यारहवीं वित्त समिति की अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को आहूत वित्त समिति की ग्यारहवीं बैठक की अनुपालन आख्या/एजेण्डावार पारित प्रस्ताव के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर आपको अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः तद्नुसार वित्त समिति के पारित प्रस्तावों का अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीष कुमार उप्रेती)
वित्त नियंत्रक,

प0सं0– /एच.एन.बी.यू.एम.यू.–लेखा/......../2024–25 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ।
3. डॉ0 अरुण कुमार जोशी, प्राचार्य, रा0मे0कॉ0, हल्द्वानी।
4. डॉ0सी0एम0एस0 रावत, प्राचार्य, रा0मे0कॉ0, श्रीनगर।
5. समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं पैरामेडिकल कालेजों को प्रेषित।
6. व्यैक्तिक अधिकारी, कुलपति, को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
7. विश्वविद्यालय के समस्त अनुभागों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार उप्रेती)
वित्त नियंत्रक,

वित्त नियंत्रक
हे0न0ब0उत्त0 चिकित्सा
शि... ...विद्यालय, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner